पत्रांक– 3/एम0–29/2023सा0प्र0....585..../

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

डॉ0 बी0 राजेन्दर
सरकार के प्रधान सचिव

सेवा में

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव
सभी विभागाध्यक्ष
पुलिस महानिदेशक
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

पटना–15, दिनांक–09.01....2024

विषयः– बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) एवं बिहार पेंशन नियमावली का नियम–43(ख) के तहत संचालित अनुशासनिक कार्रवाई की प्रक्रिया से संबंधित Flow Chart तैयार करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (अब सामान्य प्रशासन विभाग) की अधिसूचना संख्या–1112 दिनांक–12.07.2005 द्वारा अधिसूचित बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के प्रावधान के तहत किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई संचालित की जाती है। साथ ही आरोपित सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति के उपरान्त उनके विरुद्ध सेवाकाल के आरोप के लिए अनुशासनिक कार्यवाही का संचालन बिहार पेंशन नियामवली, 1950 के नियम–43(ख) के प्रावधान के तहत किया जाता है।

2. अनुशासनिक कार्रवाई के त्रुटि रहित निष्पादन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर दिशा–निदेश निर्गत किये जाते रहे हैं। साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–18652 दिनांक–05.10.2023 द्वारा बिहार सरकारी सेवक

(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) का Master Circular भी परिचारित किया गया है, जिसकी प्रति सामान्य प्रशासन विभाग के वेबसाईट (https://state.bihar.gov.in › gad) पर भी उपलब्ध है।

3. फिर भी कतिपय मामलों में ऐसा देखा जा रहा है कि सरकारी सेवक के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाहियों में प्रक्रियागत त्रुटियों के कारण सरकार को असुविधाजनक स्थिति का सामना करना पड़ता है। अनुशासनिक कार्रवाई की प्रक्रिया को त्रुटि रहित किये जाने की आवश्यकता है।

4. वर्णित स्थिति में किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध संचालित अनुशासनिक कार्रवाई की चरणबद्ध पूरी प्रक्रिया के संबंध में एक प्रवाह तालिका (Flow Chart) परिचारित करने की आवश्यकता महसूस की गयी है, जिससे सभी प्रशासी विभागों एवं कार्यालयों को किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारम्भ किये जाने से उसके निष्पादन तक के प्रक्रिया की पूरी जानकारी उपलब्ध हो सके।

5. अतः अनुशासनिक कार्रवाई की चरणबद्ध पूरी प्रक्रिया के संबंध में एक प्रवाह तालिका (Flow Chart) तैयार की गयी है।

6. सुलभ संदर्भ हेतु उक्त प्रवाह तालिका (Flow Chart) की प्रति संलग्न है।

अनुलग्नकः– यथोक्त।

विश्वासभाजन,

5.1.2024

(डॉ0 बी0 राजेन्दर)
सरकार के प्रधान सचिव

अनुशासनिक कार्रवाई

(प्रवाह तालिका– Flow Chart)

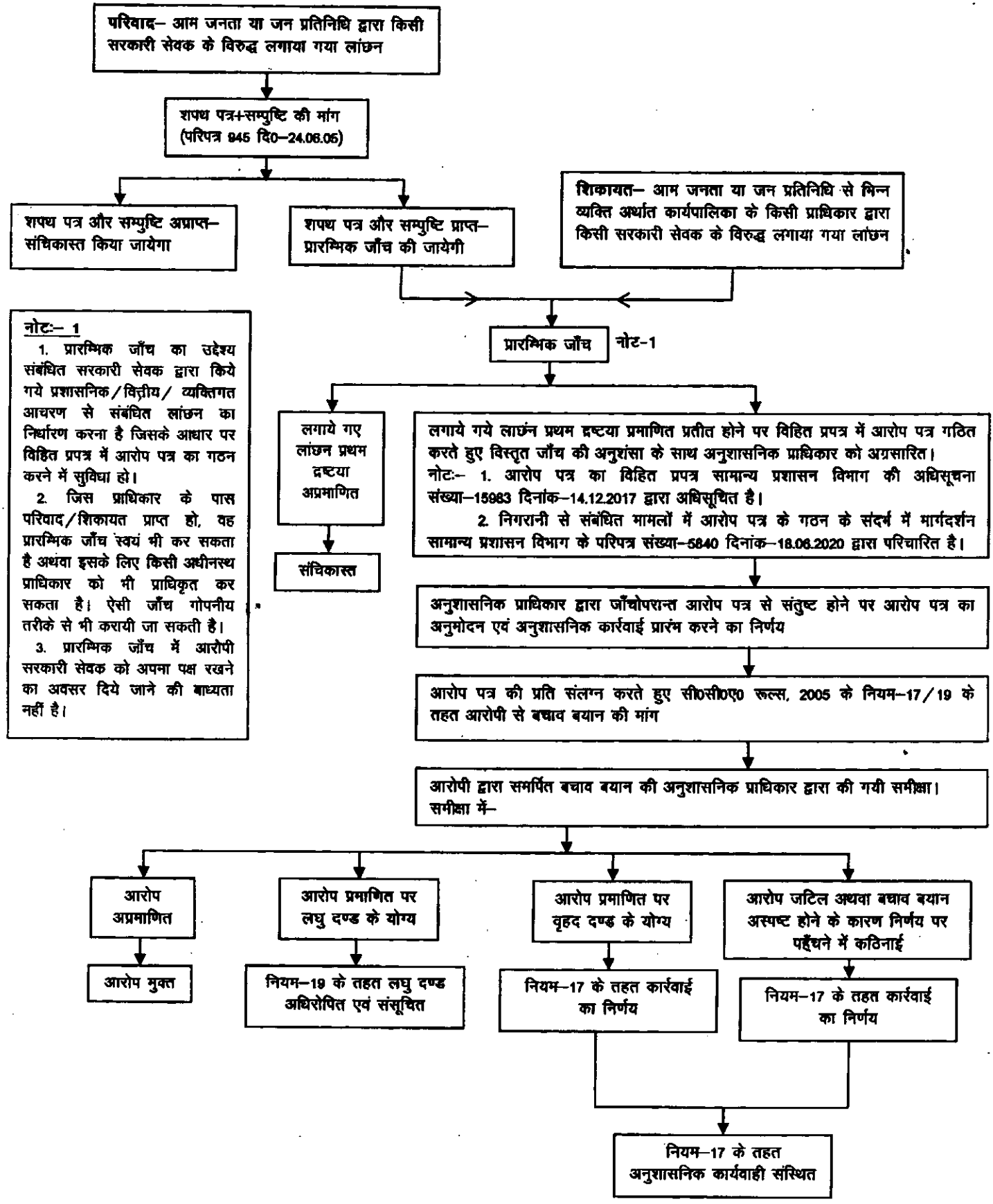

नियम–17 के तहत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित

उपस्थापन पदाधिकारी की नियुक्ति।
नोटः- अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अथवा आरोप पत्र अग्रसारित करने वाले प्राधिकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा। परन्तु नियुक्ति में अनुशासनिक कार्रवाई के संचालन में व्यावहारिक सुविधा का ध्यान रखा जाय।

अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा संचालन पदाधिकारी की नियुक्ति।
नोटः- संचालन पदाधिकारी किसी भी स्थिति में आरोपी सरकारी सेवक के समकक्ष अथवा उससे कनीय नहीं होना चाहिए।

आरोपी

अनुशासनिक कार्यवाही संचालन

1. किसी भी पक्ष को सामान्यतया वकील की सुविधा अनुमान्य नहीं की जायेगी। परन्तु आरोपी सरकारी सेवक नियमानुसार किसी सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मी की सहायता ले सकेगा।
2. संचालन पदाधिकारी द्वारा आदेश फलक का संधारण किया जायेगा।
3. यदि आरोप पत्र में गवाहों की सूची नहीं हो, तब संचालन पदाधिकारी द्वारा उपस्थापन पदाधिकारी एवं आरोपी– दोनों से उसके गवाहों की सूची की मांग की जायेगी तथा प्राप्त सूची दोनों को उपलब्ध करायी जायेगी।
4. उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा आरोपी को आरोप बताया जायेगा।
5. यदि आरोपी इस स्तर पर अपना लिखित बयान समर्पित करना चाहे तो उसे इसका अवसर दिया जायेगा।
6. आरोपी के लिखित बयान पर उपस्थापन पदाधिकारी को प्रतिउत्तर देने का अवसर दिया जायेगा।
7. आरोपी द्वारा अपने बचाव में यदि किसी अभिलेख की मांग की जाती है, तब संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपों से बचाव के संदर्भ में माँगे गए अभिलेख की प्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुए अभिलेख देने का निदेश प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी को दिया जायेगा अथवा अभिलेख की मांग को अस्वीकृत किया जायेगा।
8. उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा उनके गवाह प्रस्तुत किये जायेंगे जिनका उनके द्वारा नियमानुसार परीक्षण किया जायेगा। तदुपरान्त आरोपी को उस गवाह का प्रतिपरीक्षण करने का अवसर दिया जायेगा। उपस्थापन पदाधिकारी के अनुरोध पर संचालन पदाधिकारी द्वारा उन्हें अपने गवाह का पुनर्परीक्षण करने का अवसर भी दिया जायेगा।
9. आरोप पत्र में वर्णित अथवा सूची में अंकित सभी गवाहों को गवाही के लिए उपस्थित कराया जाना अनिवार्य नहीं है। परन्तु उपस्थापन पदाधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी गवाह को उपस्थित नहीं कराने से सरकार का पक्ष कमजोर नहीं हो।
10. अन्ततः आरोपी को बचाव अभिलेख तथा अपने गवाह प्रस्तुत करने का अवसर दिया जायेगा तथा नियमानुसार उसके गवाहों का भी परीक्षण, प्रतिपरीक्षण एवं पुनर्परीक्षण किया जायेगा।
11. संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपी द्वारा प्रस्तुत किसी अभिलेख की सम्पुष्टि प्रशासी विभाग से करायी जा सकती है परन्तु आरोपी के किसी बयान/अभिलेख के संदर्भ में विभागीय/अनुशासनिक प्राधिकार के मंतव्य की मांग नहीं की जा सकती है।
12. संचालन पदाधिकारी द्वारा आदेश फलक में सुनवाई से संबंधित सभी कार्रवाई/बयान/ अभिलेख आदि का विस्तृत उल्लेख किया जायेगा।
13. आदेश फलक के आधार पर संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन तैयार किया जायेगा।
14. जाँच प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपों के प्रमाणित/अप्रमाणित/आंशिक प्रमाणित होने के संदर्भ में ही अपना निष्कर्ष अंकित किया जायेगा परन्तु किसी प्रमाणित आरोप के लिए किसी दण्ड की अनुशंसा संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन में नहीं की जोयगी।

संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा नियम–18 के प्रावधानों के तहत किया जाना।

18.1– अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा यह विचार किया जायेगा कि यह देखेंगे आगे और जाँच की आवश्यकता है अथवा नहीं?

18.2– अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से असहमति के बिन्दु, यदि कोई हो, का निर्धारण किया जायेगा।

18.3– जाँच प्रतिवेदन तथा असहमति के बिन्दु, यदि कोई हो, की प्रति आरोपी को उपलब्ध कराते उसे 15 दिनों के अन्दर अपना अभ्यावेदन समर्पित करने का निदेश।

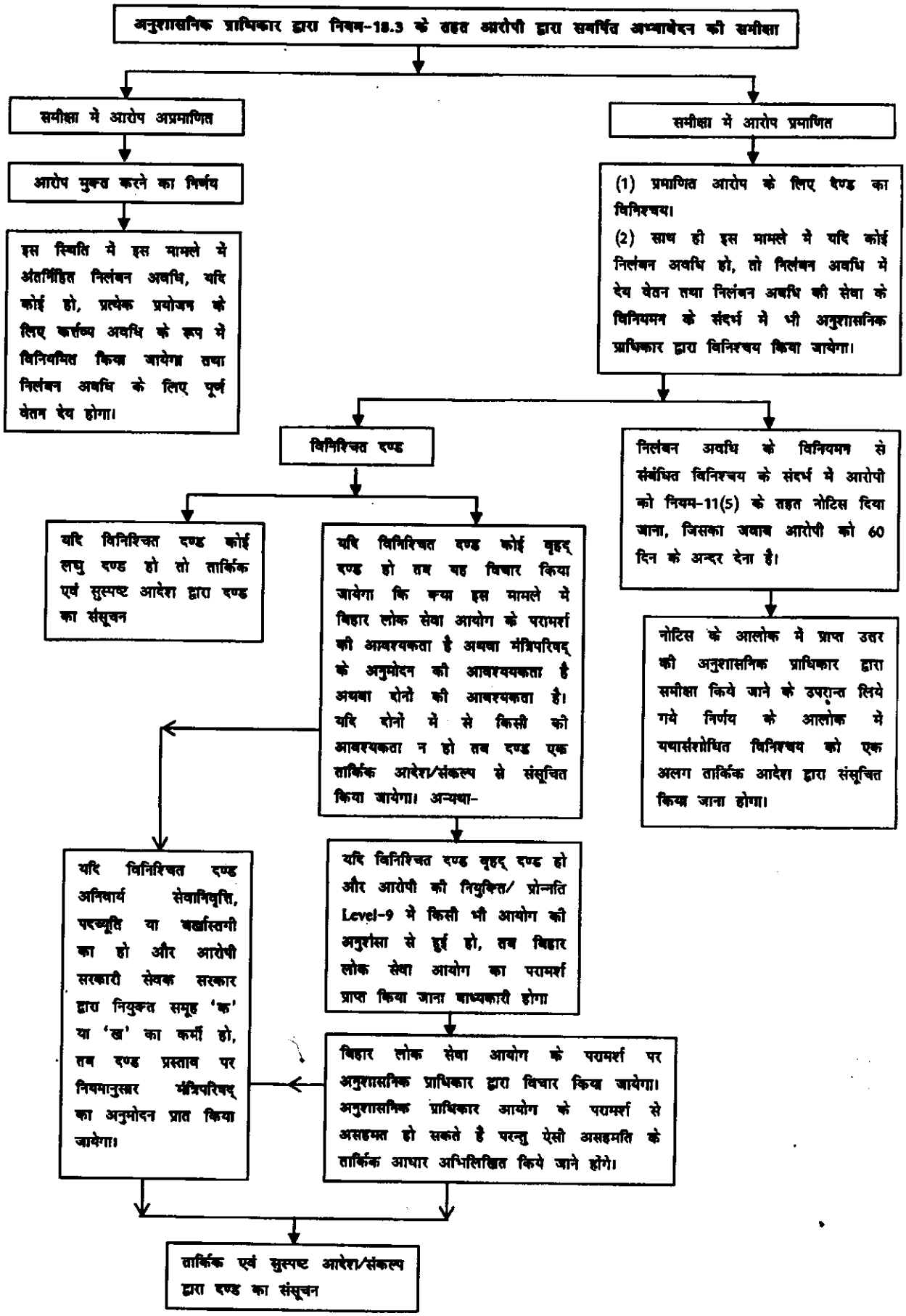
अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा नियम-18.3 के तहत आरोपी द्वारा समर्पित अभ्यावेदन की समीक्षा
समीक्षा में आरोप अप्रमाणित
आरोप मुक्त करने का निर्णय
इस स्थिति में इस मामले में अंतर्निहित निलंबन अवधि, यदि कोई हो, प्रत्येक प्रयोजन के लिए कर्तव्य अवधि के रूप में विनियमित किया जायेगा तथा निलंबन अवधि के लिए पूर्ण वेतन देय होगा।
समीक्षा में आरोप प्रमाणित
(1) प्रमाणित आरोप के लिए दण्ड का विनिश्चय।
(2) साथ ही इस मामले में यदि कोई निलंबन अवधि हो, तो निलंबन अवधि में देय वेतन तथा निलंबन अवधि की सेवा के विनियमन के संदर्भ में भी अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चय किया जायेगा।
विनिश्चित दण्ड
निलंबन अवधि के विनियमन से संबंधित विनिश्चय के संदर्भ में आरोपी को नियम-11(5) के तहत नोटिस दिया जाना, जिसका जवाब आरोपी को 60 दिन के अन्दर देना है।
नोटिस के आलोक में प्राप्त उत्तर की अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षा किये जाने के उपरान्त लिये गये निर्णय के आलोक में यथासंशोधित विनिश्चय को एक अलग तार्किक आदेश द्वारा संसूचित किया जाना होगा।
यदि विनिश्चित दण्ड कोई लघु दण्ड हो तो तार्किक एवं सुस्पष्ट आदेश द्वारा दण्ड का संसूचन
यदि विनिश्चित दण्ड कोई वृहद् दण्ड हो तब यह विचार किया जायेगा कि क्या इस मामले में बिहार लोक सेवा आयोग के परामर्श की आवश्यकता है अथवा मंत्रिपरिषद् के अनुमोदन की आवश्यकता है अथवा दोनों की आवश्यकता है। यदि दोनों में से किसी की आवश्यकता न हो तब दण्ड एक तार्किक आदेश/संकल्प से संसूचित किया जायेगा। अन्यथा-
यदि विनिश्चित दण्ड वृहद् दण्ड हो और आरोपी की नियुक्ति/ प्रोन्नति Level-9 में किसी भी आयोग की अनुशंसा से हुई हो, तब बिहार लोक सेवा आयोग का परामर्श प्राप्त किया जाना बाध्यकारी होगा
यदि विनिश्चित दण्ड अनिवार्य सेवानिवृत्ति, पदच्युति या बर्खास्तगी का हो और आरोपी सरकारी सेवक सरकार द्वारा नियुक्त समूह 'क' या 'ख' का कर्मी हो, तब दण्ड प्रस्ताव पर नियमानुसार मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।
बिहार लोक सेवा आयोग के परामर्श पर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विचार किया जायेगा। अनुशासनिक प्राधिकार आयोग के परामर्श से असहमत हो सकते है परन्तु ऐसी असहमति के तार्किक आधार अभिलिखित किये जाने होंगे।
तार्किक एवं सुस्पष्ट आदेश/संकल्प द्वारा दण्ड का संसूचन

बिहार पेंशन नियमावली का नियम-43(ख)

सेवाकाल में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के तहत अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ हो परन्तु सेवानिवृत्ति तक अनिष्पादित रहा हो।

↓

सेवानिवृत्ति के उपरान्त बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के तहत संचालित विभागीय कार्यवाही में सम्परिवर्तन का औपचारिक आदेश निर्गत किया जायेगा।

↓

कार्यवाही पूर्ववत् चलती रहेगी और अपने अंतिम निष्कर्ष तक पहुँचेगी क्योंकि कार्यवाही की प्रक्रिया वही होगी जो बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 में सेवा से बर्खास्तगी का दण्ड देने के लिए निर्धारित है।

↓

बिहार लोक सेवा आयोग का परामर्श भी आवश्यकतानुसार लिया जाना होगा। दण्ड देने हेतु सक्षम प्राधिकार वही होंगे जो सेवानिवृत्ति के समय धारित पद के नियुक्ति प्राधिकार हों।
दण्ड- पेंशन से कटौती/वसूली (आंशिक/पूर्ण तथा अस्थायी/स्थायी)

सेवानिवृत्ति के उपरान्त सेवा काल का कोई आरोप संज्ञान में आने पर उस आरोप के संदर्भ में नियम-43(ख) तभी लागू होगा जब-

1) आरोप गम्भीर कदाचार या वित्तीय अनियमितता का हो; तथा

2) आरोप की वास्तविक घटना 04 वर्ष से पुरानी नहीं हो। इस हेतु 04 वर्ष की गणना के लिए आरोप की वास्तविक घटना की तिथि से नियम-43(ख) के तहत आदेश निर्गत किये जाने की तिथि के बीच की अवधि को संज्ञान में लिया जायेगा।

परन्तु यदि इस घटना क्रम में आरोपी सरकारी सेवक की सेवाकाल में ही उसके विरुद्ध आरोप-पत्र निर्गत हो अथवा उसे निलंबित किया गया हो, तब मामला कालबाधित नहीं होगा।

↓

कार्यवाही की प्रक्रिया वही होगी जो बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 में सेवा से बर्खास्तगी का दण्ड देने के लिए निर्धारित है।

बिहार लोक सेवा आयोग का परामर्श भी आवश्यकतानुसार लिया जाना होगा। दण्ड देने हेतु सक्षम प्राधिकार वही होंगे जो सेवानिवृत्ति के समय धारित पद के नियुक्ति प्राधिकार हों।
दण्ड- पेंशन से कटौती/वसूली (आंशिक/पूर्ण तथा अस्थायी/स्थायी)

नोटः- सेवानिवृत्ति के बाद के किसी कदाचार के लिए बिहार पेंशन नियमाली के नियम-43(क) के तहत कार्रवाई की जा सकती है परन्तु इस प्रावधान के तहत सेवाकाल के किसी आरोप के संदर्भ में कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

स्पष्टतः सेवाकाल के किसी आरोप के लिए बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के तहत ही कार्रवाई की जा सकती है।